News Broadcasting & Digital Standards Authority
Order No. 137 (2022)

Order of NBDSA on complaint dated 24.11.2021 from Mr. Matin Mujawar against News18 India - programme on 18.11.2021.

Since the complainant did not receive a response from the broadcaster within the stipulated time period, the complaint was escalated to the second level i.e., NBDSA.

Complaint dated 24.11.2021

विषय : "गुरूद्वारे में नमाज मिल गया इलाज", इस विषय से एक विशेष समाज के प्रति लोगों में साम्प्रदायिक भावनाओ को उत्तेजि करना, राष्ट्रीय एकात्मता को बाधा पहुंचाने का प्रयास करना, धार्मिक और सामाजिक भावना दुखाना आदि. के लिए anchor पर भारतीय दंड संहिता धारा १५३, १५३ A, २९५A,२९८, ५००, ५०५(२), ५०६, ५११, १२० बी, १२४अ, ४९९, और साइबर लॉ इस कानून के तहत कार्रवाई के मांग हेतु नोटिस २) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 19 और 20 और टेलीविजन चैनलों नीति निर्देशों के खंड 8 के अनुसार TV 18 न्यूज़ पर कठोर कार्रवाई तथा चॅनेल की मान्यता/लाइसेंस खारिज करने के लिए.

1) *हिंदू अपने घरो पर पांच वक्त नमाज पढ़ने की अनुमति देते है *अयोध्या के मंदिर में प्रसाद के लड्डू से रोजा इफ्तारी होती है. *वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड भी रोजाना इफ्तार का आयोजन करता है.

"ये है हिदुत्व की असली तस्वीर सभी धर्मो का सम्मान, लेकिन डर जानते हो किस चीज का है, "*डर इस तस्वीर के एकतरफा होने का है,*" लोग सवाल पूछ रहे है के सेकुलरिज़्म की ये तस्वीर एकतरफा तो नहीं है, सोचिये गुरूद्वारे में नामज हो रही है, मंदिर में इफ्तारी हो रही है क्या ऐसे ही मस्जिदों में हवन या पूजा पाठ होना चाहिये?" क्या हो सकता है ? अब सड़को पर जगराता होगा विरोध होगा क्यों के भाई लाउड स्पीकर तो गलत है, सड़क पर नमाज गलत तो जगराता भी गलत, "अब सड़क पर जगराता होगा उसका विरोध होगा तो तो क्या मस्जिद भी अपना दरवाजा खोलेगी, मस्जिद में भी माता रानी का जयकारा होगा। यही तो गंगा जमनी तहजीब होगी ना? क्या ये धर्मनिरपेक्षता एकतरफा है," अगर दोनों तरफ से ऐसा होगा तो धर्मनिर्पेक्षिता का सेंसेक्स और ऊपर जाएगा *इस तरह* News18India *ने "सेक्युलरिज़्म की एक तरफ़ा तस्वीर इस भड़काऊ स्टेटमेंट से दुनिया भर में रहने वाले बहुसंख्यक हिन्दुओं के मन में अल्पसंख़्यकों के विरोध में बरगलाया है और गलतफैमि पैदा की है." "देश में दंगे, आगजनी, तनाव पूर्ण और हिंसक वातावरण बनाने के लिए* News18India *एक कम्युनल अजेंडा चला कर न्यूज़ माध्यम का गलत इस्तेमाल किया है"*

NEWS 18 INDIA *ने एक तरफा सेक्युलरिज़्म कह कर हिन्दुओं को अल्पसंख़्यको के प्रति झूठ बोल कर गलत फैमि पैदा की है भड़काया है, मुस्लमान हमेशा से सभी मजहब का आदर करता रहा है और उस ने अपने कार्य से देश में रहने वाले हिंदुओं की भी सेवा की है और हमेशा से करता आया है इस बात का साबुत)ने निचे लिंक द्वारा पेश कर रहा है.*केरला में बाढ़ आने पर मुस्लिम समाज ने हिन्दुओं को मस्जिद में आश्रय दिया था. अलीगढ़ के मुसलमानो ने रमजान में हिन्दुओं को खाना खिलाया अमरनाथ यात्रा में मुस्लिम समाज ने हुन्दुओं की सेवा की

2) सड़क पर नमाज पढ़ी ही नहीं गयी थी फिर भी एक विशेष वर्ग को बदनाम करने और सांप्रदायिक हेतु से ०४/११/२१ को भी News18 India ने इसी विषय को लेकर भड़काऊ बहस चलाई थी जिस पर तारीख ०४/११/२१ को नोटिस भी भेजी है. जिस का जबाव News18 India दे नहीं पाया है.

3) Anchor: मेरे साथ बीजेपी के नेता है और वो गुडगाँव से ही आते है, हरियाणा बीजेपी से आते है सूरजपाल अम्मूजी, विहिप से विनोद बंसल और साथ ही मेरेसाथ मौलाना अली कादरी भी है. अंजुम ए कादरिया के अध्यक्षा है. अभी अभी ट्विटर पर एक सवाल आया है, मैं चाहूंगा मौलाना अली कादरी मैं आप से शुरुआत करू, राकेश जी ने आप ही के लिए एक सवाल ट्वीट कर के भेजा है, इसे पढ़े आप, "के आओ नफरते मिठाये, गुरद्वारों में नमाज हो जामा मस्जिद में माता रानी का जागरण, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाये" इस ट्वीट को बहोत ध्यान से

पढ़िये राकेश जी का ट्वीट है. के आओ नफरते मिठाये, गुरद्वारों में नमाज हो जामा मस्जिद में माता रानी का जागरण, यही खूबसूरती है, मौलाना अली कादरी गुरुद्वारों में नमाज गंगा जमनी तहजीब है यही असली सेक्युलरिज़्म, गुरुद्वारों में नमाज़ बहोत अच्छी चीज है ये,

Anchor: नहीं नहीं !!! मौलाना कदरीजी बहोत आराम से समझेंगे इस चीज को, देखिये मंदिरो में इफ्तारी, देखिये हम गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे, हम सब भाई भाई है हम हिंदुस्थानी है पहले, पहले आप मुस्लमान नहीं है पहले आप भारतीय है. मैं पहले भारतीय हूँ . बाद में मेरा धर्म क्या कुछ है, ठीक बात है ना ? गंगा जमनी तहजीब मौलाना कादरीजी शिकायत यह है के ये सब एक तरफ़ा क्यों होता है ? मतलब जब हम मिलते है तो हम असलामोअलैकुम भी कहते है. अस्सलामो अलैकुम मैं भी कहता हूँ आप को, अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हुअक्बर मुहम्मदुर सल्लल्ला, मैं सब कहूंगा, आप लोग नहीं कहते आप मुझे आज गलत साबित कीजिये, बोलिये आप जय श्री राम, आप राम राम बोल दीजिये मुझे, एक बार मुझे राम राम कह दीजिए, आप कहिये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक हनुमान चालीसा, मैं कहूंगा अल्लाह हुअकबर, मैं कहूंगा सबकुछ मेरे मुँह से बुलवाइए, कोई फरक नहीं पड़ता सर, धर्म बाद में पहले देश है. है ना कादरी जी.... आज ये अम्मूजी बैठे है ना, मेरे को लगता है ये नफरत फैलते है. इनका मुँह बंद करियेगा ये विनोद बंसलजी इनका मुँह बंद करियेगा, इनको भी दिखाइयेगा, एक बार मेरे साथ अल्लाह हुअक्बर मुहम्मदुर सल्ला, मै सब बोलूंगा आईये गले मिलते है, मिलकर एक हिंदुस्तान बनाते है. आप बोलियेगा जयश्री राम, बोलिये जयश्री राम... समय ०४:०१ से १२:३० (०४:०१ से १२:३०) *इस पुरे समय में मौलाना कादरी से "जय श्री राम, आप राम राम बोल दीजिये मुझे, एक बार मुझे राम राम कहे दीजिये, आप कहिये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक हनुमान चालीसा. "ये सब कुछ एक मुस्लिम धर्मगुरु से बुलवाने की जबरदस्ती करता रहा है. इस तरह देश में अल्पसंख्यकों के प्रति सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने का अजेंडा NEWS 18 इण्डिया द्वारा लगातार चलाया गया है." "देश के नजरो में अल्पसंख़्यको को निचा दिखाना, बदनाम करना और नफरत फ़ैलाने के हेतु से NEWS 18 इण्डिया ने किया है*

4) Anchor: बहोत अच्छी बात कही आप ने, बहोत शानदार बात बोली, जब अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान हमारे सिख भाइयों को वहां से निकलता है तो यहाँ के कुछ लोग तालिबान के साथ खड़े होते है. आज उनको आप ने आइना दिखाया है. के हमारा दिल कितना बड़ा है, सिख भाइयों का दिल कितना बड़ा है के जब अफगानिस्तान में तालिबान वहां से सिखों को निकलता है तो यहाँ के कुछ लोग तालियन के साथ खड़े होते है के उनको आतंकी मत कहो. के आज आप ने बोलै के उसके बावजूद वो लोग जो गर वहां भी खड़े होते है उनके साथ फिर भी हमारा दिल इतना बड़ा है के आप के लिए गुरुद्वारे खोल देंगे, **अम्मूजी संग्राम थम गया ना चलिए छोड़ दीजिये, मेरी नजर में तो लग रहा है के संग्राम थम गया अब अब तो सड़क पर नमाज नहीं होगी ना भाई. अब तो घरों में होगी कही लोग है ट्विटर पर, अपना घर खोल रहे है पांच वक्त के नमाज के लिए, अच्छी बात है उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनका अपना घर है जिस मर्जी को दे बहोत अच्छी बात है, तो अब तो सड़क पर नमाज नहीं होगी ना? संग्राम ख़तम विवाद ख़तम, *यहाँ अमन चोपड़ा ने जिस तरह से अम्मूजी को उकसाया है ये वाक्यका स्पष्ट करते है के अमन चोपड़ा और NEWS 18 देश में हिन्दू मुस्लिम संग्राम करवाना चाहते है.***

अम्मूजी : इनका अल्लाह इनको सलामत रखे, और इनको बुध्दि दे, इनको सड़क पर नमाज पड़नी भी नहीं चाहिए नाही इनको इस्लाम इजाजत देता है, जहाँ तक शिरसाजी की बात है, शिरसाजी आप का दिल बहोत बड़ा है, जब कश्मीर के अंदर सिख बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, तब यही शिरसाजी थे जो स्वयं कश्मीर जाकर बेटियों के लेकर आये. तब भी किसी एक मुस्लमान ने उन बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोले, अभी अफगानिस्तान का शिरसाजी जीकर किया, इनका दिल बहोत बड़ा है, नो डाउट, मै शिरशाजी के कार्यशैली को और इनके जो काम है इनको सल्यूट करता हूँ और मै हर महीने गुरूद्वारे जाता हूँ माता टेकता हूँ , परन्तु क्या ये ऐसा दिल ये भी रखते है? , क्या ये इस प्रकार की भावना रखते है क्या? राम राम कहने में शर्म आती है कादरी साहब को? मै कहे रहा हु आप से अस्सलामो अलैकुम , अरे आप एक धर्म का विरोध करते हो, सरे आम करते हो, पाकिस्तान अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो आप फटाके फोड़ते हो, आप लड्डू खिलते हो, अगर CAA का समर्थन हम लोग करते है तो CAA का विरोध करते हो आप पंधरा पन्द्र बच्चे पैदा करते हो, आप हिन्दू धरम का सरे आम विरोध करते हो, तो आज जब सिख धरम के लोगों ने बड़ा दिल किया है तब एक बात पूछना चाहता हूँ कादरी साब बड़ा दिल करके कहियेगा क्या हिन्दुओं को भी मंदिरो में जागरण और हनुमान चालीसा करने की अनुमति देदो, हम मांग रहे है आप से अनुमति, क्या आप ने हाईवे पर किस किस को लेटकर न जाने किस किस की कबर बना रखी है।

Anchor : क्या आप के पास जगह काम पड़ गयी है क्या? मस्जिद चाहिए आप को अम्मूजी : सर मै कहता हु मस्जिद हमारे जगह पर बनी हुई है. गुड़गांव के अंदर, नई कॉलोनी के अंदर पब्लिक हेल्थ के जगह पर इन्होने ऐसे ही खुले में नमाज पड़नी शरूकरि कांग्रेस के सरकार ने इनको मस्जिद बनाने की अनुमति देदी, देश में १२८ जगहपर इसी प्रकार से इन्होने मस्जिद बना ली है अवैध, अब ये कहते है मस्जिदों के लिए देदो, अरे भाई कीतिनि मस्जिद बनाओगे ?

Anchor : तो हटवा डिजिये ना, हटवाडिजिये फिर. अम्मूजी : कितने मस्जिदे बनाओगे, हटेंगी, अगर अवैध होगी तो हटेंगी। जब हमने बाबरी वाला ढांचा नहीं छोड़ा तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे, चिंता न करे. समय १७:५९ से २१:०५ *Anchor के बरगलाने पर जिस तरह अम्मूजी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है यह स्पष्ट करता है के ये चैनल ऐसे खबरों से और बीजेपी, विहिप, बजरंग दाल जैसे सनातनी संघटन के प्रमुख, कट्टर मानसिकता के लोगों से देश में सांप्रदायिक तनाव को पनपाने का कार्य कर रहा है. अमन चोपड़ा जैसे एंकर विश्लेषकों को भड़काऊ बयान के लिए उत्तेजित करते है. इस पर सवाल करने पर चैनल से यह जवाब दियाजाता है के हम निचे डिस्क्लेमर की पट्टी चलते है*

Anchor : : ऐसे नहीं ऐसे डिबेट नहीं करेंगे, एक एक कर के, अम्मूजी आप रुकिए आप को पूरा मौका दूंगा, अम्मूजी आप आएंगे तो वो नहीं बोलेंगे, हम देखिये सांप्रदायिक स्वार्थ बनाने वाली डेबिट कर रहे है, आज जो डिबेट हो रही है वो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाली है , आज लड़ना नहीं है लड़ना बिलकुल नहीं है समय २२:११ से २२:३३ *इस तरह विश्लेषकों के बिच पहले आपसी टकराव निर्माण करते है बाद में सांप्रदायिक स्वार्थ बनाने वाली भाषा से ड्रामेबाजी की जाती है*

39:42 Anchor ये काद्रीजी मुझे राम राम नहीं कहे पा रहे है, तयों? मै कहे रहा हूँ ला इलाहा इल्लल लाह, महमदुर रसूल उल्लाह, मै कहे रहा हूँ मुझे कोई हदतकत नहीं है आप कहहये जय हनुमान ज्ञान गन सागर , कहहये ना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये नहीं कहते, काद्रीजी मुस्कराते है, कहहये आप हनुमान चालीसा, ाई ो कहे रहे है ना मस्स्जद में पूजा मस्स्जद में हनुमान चालीसा, जो लाउड स्पीकर है मस्स्जद का हां से ककसी हदन आाज आएंगे जोर से बोलो जय मातादी।

समय ३९:४२ से ४६:४८

इस बिच जय श्री राम, हनुमान ज्ञान गन सागर इन वाक्यों के कहने की जरदस्ती की है. News 18 India द्वारा यह डिबेट तब करवाया है जब त्रिपुरा में मस्जिदों में आगजनी और तोड़ फोड़ की खबरे मिडिया और सोशल मिडिया वायरल हो रही थी और देश सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहा था

News 18 INDIA द्वारा यह डिबेट तब करवाया है जब वासिम रिज़वी ने मोहम्मद पैगंबर पर लिखी विवादित किताब की News 18 India वजह से देश भर में इस के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे.

News 18 India द्वारा यह डिबेट तब करवाया है जब महाराष्ट्र के अमरावती और कई जिल्हो में सांप्रदायिक तनाव पनप रहा था. कही जगह कर्फ्यू लगा था.

News18 India द्वारा चलाये इस खबर को सोशल मिडिया माध्यम जैसे YouTube और फेस बुक पर हजार बार शेर किया गया है जिस में लोगों ने अल्पसंख्यको प्रति गालिया, खूनखराबा करनेवाले विचार , आगजनी फ़ैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है. फेस बुक और YouTube की लिंक जानकारी के लिए ऊपर शेर की गयी है. यही हाल YouTube का है. ये बात पत्रकारिता के अचार और सिद्धांत के विरुद्ध है. लोगों के कमेंट्स इस बात का साबुत है के ये खबरें नफरत पैदा करने वाली और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाली है जो देश हित में घातक और राष्ट्र को मजहबो में बांटने की गहरी साजिश है News18 India की खबरे राष्ट्रीय एकात्मता और अखंडता के हित में घातक और नुक्सान पहुंचानेवाली साबित हो रही है. News18 India ने सांप्रदायिक इरादों से भारतीय मुस्लिम समाज तथा उनके मौलिक और मानवाधिकारों को लक्षित किया है. मुस्लिम समाज की मानहानि करके उसे निचा दिखाया है.

The complainant submitted that by airing such hate news the broadcaster has tried to disturb the communal harmony of the State. The program has defamed the minorities of India. The language used by the broadcaster in the program was provocative, abusive and targeted Islam. Through such program the broadcaster has caused harm to the fundamental rights of minorities.

Reply dated 24.12.2021 from the broadcaster:

At the outset, the broadcaster stated that it denied all the allegations made in the complaint and clarified that the impugned programme was consistent with the applicable NBDSA's guidelines/advisories and applicable laws.

The broadcaster stated that it decided to debate on this topic since people had been raising this issue on social media platforms asking people to come together to ensure that *'namaz'* happens in Gurudwara(s) and vice-a-versa *'jagrata'* happens in mosques. They felt that this would be the best way to have a communal free India devoid of any distrust and hate among religions and instead promote peace and harmony.

The content of the impugned programme prima facie clearly showed that the show talked about promoting trust, love and affection among communities and promoting brotherhood among all communities wherein each community would help the other in performing the religious rituals and provide them with place of worship, especially in times of need. The broadcaster stated that it would also like to state that at no point was the aforesaid part glorified or compromised against any community. As a responsible channel, it had also invited people from all walks of life to participate in the debate and provide their opinion.

Besides, it debated the issue in the programme because it was important to make people aware of such events /opinions would affect public at large and which would help promote religious harmony such as the one in which it had highlighted how various communities can help members of other community in allowing their own place of worshipping for the use of others, especially in times of need. It had no intention to hurt feelings of anyone, through the debate, and in fact the purpose was to promote harmony among all religions.

As a responsible member of the media, the broadcaster stated that its constant endeavour was to discharge its duties with full responsibility within the legal framework. Its only interest was in effectively disseminating correct news to the viewers. It had always maintained the highest standards of responsible journalism and its channel shall continue to maintain the highest standards of telecast and shall always comply with the laws of the land in this regard.

Decision of NBDSA at its meeting held on 8.1.2022
NBDSA considered the complaint, response from the broadcaster and viewed the broadcast. NBDSA decided that the broadcaster and the complainant be called for a hearing.

On being served with notices the following person were present at the hearing on 9.3.2022:

Complainant:
Mr. Matin Mujawar
Mr. Ashish Kachave, Advocate

Broadcaster :

Mr. Puneesh Kochar, Counsel-Legal
Mr. Manish Kumar, Associate Executive Producer

Submissions of the Complainant:
The complainant submitted that in the impugned programme, the broadcaster has through the issue of "सड़क पर नमाज" targeted the Muslim community. During the programme, following provocative statements were made by the anchor: "हिंदू अपने घरो पर पांच वक्त नमाज पढ़ने की अनुमति देते है"; "अयोध्या के मंदिर में प्रसाद के लड्डू से रोजा इफ्तारी होती है."; "वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड भी रोजाना इफ्तार का आयोजन करता है."; "ये है हिदुत्व की असली तस्वीर सभी धर्मो का सम्मान, लेकिन डर जानते हो किस चीज का है, "डर इस तस्वीर के एकतरफा होने का है," लोग सवाल पूछ रहे है के सेकुलरिज़्म की ये तस्वीर एकतरफा तो नहीं है, सोचिये गुरूद्वारे में नामज हो रही है, मंदिर में इफ्तारी हो रही है क्या ऐसे ही मस्जिदों में हवन या पूजा पाठ होना चाहिये?" क्या हो सकता है ? अब सड़को पर जगराता होगा विरोध होगा क्यों के भाई लाउड स्पीकर तो गलत है, सड़क पर नमाज गलत तो जगराता भी गलत, अब सड़क पर जगराता होगा उसका विरोध होगा तो तो क्या मस्जिद भी अपना दरवाजा खोलेगी, मस्जिद में भी माता रानी का जयकारा होगा। यही तो गंगा जमनी तहजीब होगी ना? क्या ये धर्मनिरपेक्षता एकतरफा है," अगर दोनों तरफ से ऐसा होगा तो धर्मनिर्पेक्षिता का सेंसेक्स और ऊपर जाएगा'.

Further, in the programme the anchor coaxed a Muslim panellist on the show to say "जय श्री राम, आप राम राम बोल दीजिये मुझे, एक बार मुझे राम राम कहे दीजिये, आप कहिये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक हनुमान चालीसा".

The complainant submitted that the manner in which the impugned programme was broadcast appeared to be communally flavoured. As a result of such news, communal tensions were being raised in the country and communal disharmony was being spread.

Submissions of the Broadcaster:
At the outset, the Authority questioned the broadcaster whether it behoved a news channel to raise such kinds of topic. In response the broadcaster submitted that the purpose behind airing the impugned programme was to promote harmony. That it had decided to conduct debate on this topic since people had been raising this issue on social media platforms.
The Authority questioned the broadcaster whether it had ever aired any programme on right wing extremism. The broadcaster stated that it had extensively covered the incident of hate speech in Haridwar and it was their coverage which led to the arrest of Yati Narsinghanand.

Decision
NBDSA went through the complaint, response from the broadcaster, and also gave due consideration to the arguments of the complainant and the broadcaster and reviewed the footage of the broadcast.

NBDSA noted that while a broadcaster has the right to conduct debates and discussions on any topic of its choice however, it must keep in mind and adhere to the Code of Ethics and Broadcasting Standards and the Guidelines issued by the Authority while conducting such debates.

In the present debate, the Authority noted that while it may be appreciated that the anchor had stated during the debate that Hindus and Sikhs were giving space to the Muslims to

offer namaz, however by using terms as *'darr ek tarfa'* and by persistently coercing and badgering a panellist to utter certain words which the panellist was not comfortable with, the anchor had clearly given the debate a communal flavour. It appears that the channel had attempted to give its own definition to *'secularism'*. NBDSA found that the debate was provocative in nature and could create disharmony and intolerance amongst communities. NBDSA observed that such topics when debated could lead to incitement of hatred and disharmony amongst communities and therefore could have been avoided.

In view of the above, NBDSA found that the impugned programme had violated the Specific Guidelines Covering Reportage relating to Clause 9- Racial and Religious Harmony.

NBDSA therefore issued a warning to the broadcaster to be careful in future while conducting debates on such sensitive issues and expressed disapproval in respect of the impugned programme.

NBDSA, further, directed that the video of the said broadcast, if still available on the website of the channel, or YouTube, or any other links, should be removed immediately, and the same should be confirmed to NBDSA in writing within 7 days of receipt of the Order.

NBDSA decided to close the complaint with the above observations and inform the complainant and the broadcaster accordingly.

NBDSA directs NBDA to send:
(a) A copy of this Order to the complainant and the broadcaster;
(b) Circulate this Order to all Members, Editors & Legal Heads of NBDA;
(c) Host this Order on its website and include it in its next Annual Report and
(d) Release the Order to media.

It is clarified that any statement made by the parties in the proceedings before NBDSA while responding to the complaint and putting forth their view points, and any finding or observation by NBDSA in regard to the broadcasts, in its proceedings or in this Order, are only in the context of an examination as to whether there are any violations of any broadcasting standards and guidelines. They are not intended to be 'admissions' by the broadcaster, nor intended to be 'findings' by NBDSA in regard to any civil/criminal liability.

Sd/-

Justice A.K Sikri (Retd.)
Chairperson

Place: New Delhi
Date : 13.6.2022